लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4444

19 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

एच.एच.ई.सी. द्वारा देर से किए गए भुगतान

4444. श्री पी. के. कुनहालिकुट्टीः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ''सुधार, कार्य-निष्पादन और कायाकल्प'' मंत्र के साथ छोटे व्यापारों और उद्यमियों के लिए विस्तृत सुविधा सुनिश्चित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम (एच॰एच॰ई॰सी॰आई॰) के अधिकारी उक्त विचार/अवधारणा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और गत पांच वर्षों के उनके भुगतान रोक कर छोटे सर्राफा व्यवसायियों का शोषण कर रहे हैं और उनके बकाया का भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके अद्यतन ब्याज सहित बकाए भुगतान का ब्यौरा क्या है और 31 मार्च, 2019 के अनुसार देरी के क्या कारण हैं और एच॰एच॰ई॰सी॰ द्वारा ऐसे व्यवसायियों के बकाए का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) ऐसे उद्यमियों के भुगतान में चूक के लिए एच॰एच॰ई॰सी॰ के दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या कुछ मामलों में भुगतान 2018 में सी॰बी॰आई॰ की जांच के परिणाम पर निर्भर है और यदि हां, तो मामले में उनसे क्या स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है; और

(च) क्या एच॰एच॰ई॰सी॰ ऐसे व्यवसायियों को आंशिक या पूर्ण भुगतान जारी करेगा जिनका कोई मामला या जांच लंबित नहीं है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (च) : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मैसर्स एडलवीस कमोडिटीज लिमिटेड (ईसीएल) और आर्यावर्त कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड (एसीपीएल) की बुलियन पार्टियों के खिलाफ दो मामले दर्ज किए हैं। हालांकि एचएचईसी ने उल्लेख किया है कि यह वाणिज्यिक व्यवस्था के अनुसार है और बुलियन आयात करने वाली अन्य नामांकित एजेंसियों द्वारा अपनाए गए व्यापार मॉड्यूल के अनुसार है। सीबीआई क्रेता ऋण का लाभ उठाने के मुद्दे की जांच कर रही है। जिन बुलियन पार्टियों के भुगतान (एचएचईसी द्वारा) रोक दिए गए हैं, उन्होंने करार के अनुसार आयात की प्रक्रिया का पालन किया है, जो ईसीएलऔर एचएचईसी के बीच हस्ताक्षरित करार के समान है। एचएचईसी ने ईसीएल, जिसके विरूद्ध सीबीआई की जांच चल रही है तथा अन्य बुलियन पार्टियों की राशि को रोक लिया है, जिनके साथ एचएचईसी ने ईसीएल के समान करार पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि ईसीएल के सीबीआई मामले में

किसी भी प्रतिकूल निर्णय का उन पर भी समान रूप से वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त एचएचईसी ने सीबीआई से ईसीएल से इतर बुलियन पार्टियों के भुगतान को रोकने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है जिनके साथ एचएचईसी ने ईसीएसएल की भांति करार किया है। सीबीआई से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है कि क्या एचएचईसी उन अन्य बुलियन पार्टियों का भुगतान जारी कर सकता है, जिनके साथ एचएचईसी का इसी प्रकार का लेन-देन है। सीबीआई का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार बकाये का विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रु. में)

1	मैसर्स एडलवीस कमोडिटीज लि. (ईसीएल)	5.12
2	मैसर्स एसएमसी कॉमट्रेड लि.	2.48
3	मैसर्स आत्मा राम अमर नाथ	1.50
4	मैसर्स फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लि.	2.76
5	मैसर्स कोठारी प्रोडक्ट लि.	0.23
6	मैसर्स रेलेगेयर बुलियन लि.	0.16
7	मैसर्स सोनी चुनीलाल गोविंदभाई ज्वैलर्स प्रा.लि.	0.01
8	मैसर्स दिल्ली स्पॉट बुलियन ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि.	0.03
9	मैसर्स मैटलॉय ट्रेडिंग सर्विस प्रा.लि. (सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास लंबि मामला)	0.11
10	एमएमटीसी पम्प इंडिया प्रा.लि.	0.05
कुल		**12.45**

****